अधिकारी

...ालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

.... 2/7/2021 .... तारीख रजू...........................

नरेन्द्र बनाम रामवीर वगैरा

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतःअप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 1783,1784, वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में होकर किसी तरह की सडक/रास्ता कायम ना करें उक्त आराजी मेंक गढढे खोदकर मिटटी उठाकर सडक/रांस्ता कायम कर उक्त आराजी को ना काविल कास्त ना करें ।सायल की वुवी फसल को नष्ट ना करें सायल को उक्त आराजी मे हिस्सा एवं घरेलु वटवारा कें अनुसार कब्जे में आई आराजी के कब्जे कृषि कार्य करने व उपयोग एवं उपभोग में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/9/21	अनुपस्थित ... पत्रावली दिनांक 29/11/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:01:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/4/24	वकील प्रार्थी ...उपस्थित साविक आदेश दिनांक.......... की पालना में पत्रा. श्री वादी ...नहीं आयी रजि० डाक के अभिप्राय दिनांक......02/05/24...... को पेश हो मौका दिया जाता है खण्ड अधिकारी कार्यालय (...
21/5/24	प्रार्थी ...उपस्थित । साविक आदेश दिनांक.......... की पालना में पत्रा. श्री वादी... तलबी रजि० डाक के अभिप्राय दिनांक......27/5/24...... को पेश हो मौका दिया जाता है खण्ड अधिकारी कार्यालय (...
27/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं वकील प्रार्थी को चार बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं अतः प्रार्थना पत्र अ.प. की धारा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कार्य हो मूल चार्ज के संलग्न रहे हुक्म। आसाप

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:11:03 IST
Reason: SelfAttested